विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-7 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
7 **(क)**क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताएंगे कि प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए मजदूरी संहिता 2019 को स्वीकार किया गया है?	जी नही।
(ख)यदि हाँ, तो क्या कृषि कार्यों से जुड़े श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया है?	ग्रामीण विकास मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005-के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से अकुशल हस्त कर्मकारों की राज्यवार मजदूरी की दरें तय की जाती है, तद्नुसार मनरेगा के समान कृषि एवं अनुषांगिक नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों हेतु उत्तर प्रदेश में दैनिक न्यूनतम मजदूरी रूपया 230/- प्रतिदिन नियत की गयी है, जिसकी अधिसूचना शासन के पत्र संख्या-2/2023/905/36-3-2023- 01(अधि०)/2005, दिनांक 26 मई 2023 द्वारा निर्गत की गयी है।
(ग)यदि हाँ, तो दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से कृषि कार्य से जुड़े श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी क्या निर्धारित की गयी है?	उपरोक्तानुसार।
(घ)क्या कृषि कार्य से जुड़े श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार करेंगें ?	उपरोक्तानुसार।
(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?	उपरोक्तानुसार।
(च) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न ही नही उठता।

अनिल राजभर
मंत्री
श्रम एवं सेवायोजन विभाग।